संचिका सं0--7/प0क0--बजट--33--08/2023--24 -- 307(7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण ,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक– 23/12/2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मुख्यशीर्ष 20–2210–06–101–0114– 28–02 संविदा सेवाऍं मद में बजटीय उपबंध एवं अनुपूरक आगणन से उपलब्ध करायी गयी राशि रू0 2,26,00,00,000/– (दो अरब छब्बीस करोड़ रुपये) मात्र में से राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं फैसिलिटेटरों को पारितोषिक के रूप में प्रतिमाह रू0 1000/– के भुगतान के निमित रू0 100,00,00,000/– (एक अरब रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/ उपशीर्ष मुख्यशीर्ष 20–2210–06–101–0114 – 28 -02 संविदा सेवाऍं मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट उपबंध में रु0 11,00,00,000/– (ग्यारह करोड रुपये) मात्र तथा प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि रु0 2,15,00,00,000/– (दो अरब पन्द्रह करोड रुपये) मात्र अर्थात् कुल 2,26,00,00,000/– (दो अरब छब्बीस करोड रुपये) मात्र में से राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यलयों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं फैसिलिटेटरों को स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0–789(12) दिनांक–09.08.2019 में उल्लेखित शर्तों के साथ प्रतिमाह रू0 1000/– पारितोषिक के रूप भुगतान हेतु पूर्व में विभागीय पत्रांक–94(7) दिनाक–05.07.2024 द्वारा रू0 11,00,00,000/– (ग्यारह करोड रुपये) मात्र एव विभागीय पत्रांक–160(7) दिनांक–02.09.2024 के द्वारा रु0 90,00,00,000/– (नब्बे करोड रुपये) मात्र अर्थात् कुल रु0 1,01,00,00,000/– (एक अरब एक करोड रुपये) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जा चूकी है, यद्यपि इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को अप्राप्त है। वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक–1533 दिनांक–02.07.2024 तथा पत्रांक–1680 दिनाक–10.07. 2024 के आलोक में रु0 1,00,00,00,000/– (एक अरब रुपये) मात्र उपलब्ध कराया जाना है। कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं फैसिलिटेटरों को भुगतान के पूर्व संकल्प संख्या–789(12) दिनांक–09.08.2019 में उल्लेखित शर्त्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा ।

2– उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मुख्यशीर्ष 20–2210–06–101–0114–28–02 संविदा सेवाऍं मद में बजटीय उपबंध एवं अनुपूरक आगणन से उपलब्ध करायी गयी राशि रू0 2,26,00,00,000/– (दो अरब छब्बीस करोड रुपये) मात्र में से राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं फैसिलिटेटरों को पारितोषिक के रूप में प्रतिमाह रू0 1000/– के भुगतान के निमित रू0 100,00,00,000/– (एक अरब रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

3– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनाक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, संकल्प सख्या–545(12), दिनाक–11.06.2019 तथा अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

4– इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–उप मुख्यशीर्ष–06–लोक स्वास्थ्य लघुशीर्ष–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–उपशीर्ष–0114– आशा कार्यकर्ता एवं फैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, विपत्र कोड–20–2210–06–101–0114–28–02 संविदा सेवाएँ अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5– राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे तथा इसके नियत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख होंगे। अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0 एल0 खाता संख्या–PBBPLA011 में हस्तान्तरित करायेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति नियमानुसार उतनी राशि, जितनी तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक हो, की निकासी कर संबंधित खाते मे हस्तनान्तरित करेगी। किसी भी परिस्थिति में पी0एल0 खाते से अग्रिम राशि की निकासी कर बैक खातो में पार्क नही किया जाय।

6– उपरोक्त खाता का धन–ऋण ज्ञापन ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त राशि के अनावश्यक रूप से पार्क होने की जिम्मेवारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना की होगी।

7– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–7/प0क0–बजट–33–08/2023–24 के पृष्ठ–....114....../टि0 में प्राप्त है ।

8– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

9– संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10– प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–7/प0क0–बजट–33–08/2023–24-309(7)/स्वा0, पटना, दिनांक:–23/12/2024

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी सिविल सर्जन/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी– 07, 12/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव